

दल-परिवर्तन रोधी मामलों के नरिणयों में वलिंब

प्रलिमिस् के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [दल-परिवर्तन रोध](#), [अनुच्छेद 142](#), [भारत नरिवाचन आयोग](#)

मेन्स के लयि:

दल-परिवर्तन रोधी कानून और भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव, नरिहता मामलों में अध्यक्ष की भूमिका, दल-परिवर्तन रोधी कानून की न्यायकि व्याख्या

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) की एक पीठ ने दृढ़ता से यह स्पष्ट किया कयिद विधानसभा अध्यक्ष [संवधान की दसवीं अनुसूची \(दल-परिवर्तन रोधी कानून\)](#) के तहत [दल-परिवर्तन रोधी याचिकाओं](#) पर नरिणय करने में वलिंब करता है तो न्यायपालिका "नशिक्त" नहीं है।

- यह टपिपणी राज्य के एक राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जसिमें सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले [विधानसभा सदस्यों \(वधायकों\)](#) के खलिफ [नरिहता याचिकाओं](#) पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लंबे समय तक कार्रवाई न करने के खलिफ [न्यायकि हस्तक्षेप](#) की मांग की गई थी।

दल-परिवर्तन रोधी कानून क्या है?

- परचिय:** दल-परिवर्तन रोधी कानून (ADL) को वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधनियिम के माध्यम से [संवधान में दसवीं अनुसूची](#) जोड़कर पुर: स्थापति किया गया था। इसका उद्देश्य दल अनुशासन को बढ़ावा देने और स्थािर सरकार सुनश्चिति करने के लयि वधायकों ([संसद सदस्यों \(MP\)](#) और वधायकों) द्वारा अवसरवादी राजनीतिक दल-परिवर्तन को रोकना है।
- नरिहता के आधार:**
 - राजनीतिक दलों के सदस्य: यदकि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है।
 - यदकि कोई सदस्य बनिा पूर्व अनुमतिके [पार्टी के व्हपि](#) के वपिरीत मतदान करता है या प्रवरित (मतदान में भाग नहीं लेना) रहता है और 15 दिनों के भीतर इस कृत्य को माफ नहीं किया जाता है।
 - नरिदलीय सदस्य: यदवे चुनाव के बाद [कसिी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं](#) तो उन्हें नरिहति घोषति कर दिया जाएगा।
 - नामनरिदेशति सदस्य: यदवे अपना पद ग्रहण करने के [छह माह बाद कसिी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं](#) तो उन्हें नरिहति घोषति कर दिया जाएगा।
- अपवाद:** ADL के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष को नरिहता से छूट दी गई है यदवे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं या पद पर बने रहने के बाद फरि से उसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य [भूमिका की गरमा और नषिपक्षता](#) सुनश्चिति करना है।
 - यदकिसी पार्टी का कसिी अन्य पार्टी में वलिय हो जाता है तथा उसके कम-से-कम दो-तहिाई सदस्य वलिय के लयि सहमत हो जाते हैं तो कसिी सदस्य को नरिहति नहीं ठहराया जाता है।
- अध्यक्ष की भूमिका:** दसवीं अनुसूची के तहत, अध्यक्ष दल-परिवर्तन करने वाले वधायकों की नरिहता पर नरिणय लेने के लयि [अर्द्ध-न्यायकि प्राधिकारी](#) के रूप में कार्य करता है।
 - वधि में कोई समय-सीमा नरिदषि्ट नहीं की गई है जसिके भीतर अध्यक्ष को दल-परिवर्तन के मामलों पर नरिणय लेना होगा, जसिके कारण कुछ मामलों में अत्यधिक वलिंब हो जाता है।
- न्यायकि सशक्तीकरण:** [अनुच्छेद 142](#) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लयि आवश्यक कसिी भी प्रकार का आदेश पारति कर सकता है, जसिमें संवैधानिक प्राधिकारियों को उचति अवधि के भीतर कार्य करने के लयि बाध्य करना भी शामिल है।
 - [\[1977\] 2 SCR 1](#) (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय किया क [अधकिरण के आदेशों के खलिफ न्यायकि उपचार उपलब्ध हैं](#)। चूँकि नरिहता के मामलों में अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलियि सर्वोच्च न्यायालय नरिदेश जारी कर सकता है, जैसा क [वहकेंद्रीय प्रशासनकि अधकिरण \(CAT\)](#) जैसे अन्य

दल-परिवर्तन रोधी न्यायिक नरिणय

- **लोकतांत्रिक अवमूलयन:** वलिंब से दलबदलुओं को पद पर बने रहने का मौका मलि जाता है, जसिसे लोकप्रयि जनादेश में संभावति रूप से वकिृति आ सकती है। इससे दसवीं अनुसूची का उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है तथा यह कार्यात्मक रूप से अप्रभावी हो जाती है।
- **राजनीतिक नैतिकता:** लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के वशिवास को खत्म करता है तथा राजनीतिक अवसरवाद और **सहॉर्स ट्रेडिंग (राजनीतिक समर्थन की खरीद-फरोख्त)** की संस्कृति को बढ़ावा मलिता है।
- **शासन व्यवस्था में कमी:** जब दलबदलू सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो नीति निर्माण प्रभावति होता है और वपिक्षी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।
 - **केस स्टडी: महाराष्ट्र (वर्ष 2022)** में अध्यक्ष द्वारा नरिर्हता कार्यवाही में देरी से सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता उत्पन्न हुई।
- **चुनावी जवाबदेही:** नरिणय लेने में वलिंब होने से **पुनर्नरिवाचन में बाधा** उत्पन्न होती है और **मतदाताओं** को उनके जनादेश के अनुरूप प्रतिनिधियों को चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचति कयिा जाता है।
- **सत्तारूढ़ दलों द्वारा शोषण:** कार्यवाही में वलिंब से प्रायः सत्तारूढ़ दल के हतियों को लाभ पहुँचता है, वशिषकर जब अध्यक्ष उसी पार्टी का हो।
 - सत्तारूढ़ दलों को सुनयिोजति दलबदल के माध्यम से सत्ता को मज़बूत करने की अनुमति देता है।

नरिर्हता में वलिंब होने से शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **लोकतांत्रिक अवमूलयन:** वलिंब से दलबदलुओं को पद पर बने रहने का मौका मलि जाता है, जसिसे लोकप्रयि जनादेश में संभावति रूप से वकिृति आ सकती है। इससे दसवीं अनुसूची का उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है तथा यह कार्यात्मक रूप से अप्रभावी हो जाती है।
- **राजनीतिक नैतिकता:** लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के वशिवास को खत्म करता है तथा राजनीतिक अवसरवाद और **सहॉर्स ट्रेडिंग (राजनीतिक समर्थन की खरीद-फरोख्त)** की संस्कृति को बढ़ावा मलिता है।
- **शासन व्यवस्था में कमी:** जब दलबदलू सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो नीति निर्माण प्रभावति होता है और वपिक्षी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।
 - **केस स्टडी: महाराष्ट्र (वर्ष 2022)** में अध्यक्ष द्वारा नरिर्हता कार्यवाही में देरी से सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता उत्पन्न हुई।
- **चुनावी जवाबदेही:** नरिणय लेने में वलिंब होने से **पुनर्नरिवाचन में बाधा** उत्पन्न होती है और **मतदाताओं** को उनके जनादेश के अनुरूप प्रतिनिधियों को चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचति कयिा जाता है।
- **सत्तारूढ़ दलों द्वारा शोषण:** कार्यवाही में वलिंब से प्रायः सत्तारूढ़ दल के हतियों को लाभ पहुँचता है, वशिषकर जब अध्यक्ष उसी पार्टी का हो।
 - सत्तारूढ़ दलों को सुनयिोजति दलबदल के माध्यम से सत्ता को मज़बूत करने की अनुमति देता है।

दलबदल वरिेधी कानून को मज़बूत करने के लिये कनि सुधारों की आवश्यकता है?

- **नरिणयों के लिये वैधानिक समय सीमा:** जैसा कि **सर्वोच्च न्यायालय (कैशम मेघचंदर, 2020)** द्वारा अनुशंसति कयिा गया है, अनश्चितिकालीन वलिंब को रोकने के लिये नरिर्हता याचिकाओं पर नरिणय लेने के लिये अध्यक्षों के लिये एक समयबद्ध रूपरेखा (**जैसे, 90 दिन**) प्रस्तुत की जानी चाहयि।
- **स्वतंत्र प्राधिकरण को नरिणय लेने की शक्तियाँ:** नरिणय लेने की शक्ति अध्यक्ष से हटाकर किसी बाहरी, तटस्थ न्यायाधिकरण या **भारत के नरिवाचन आयोग** को सौंप दयिा जाना चाहयि।
 - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** ने सफारिश की थी कि दलबदल के आधार पर नरिर्हता का नरिणय नरिवाचन आयोग की सलाह के आधार पर **राष्ट्रपति/राज्यपाल** द्वारा कयिा जाना चाहयि।
- **पार्टी व्हपि का सीमति दायरा:** व्हपि के प्रवर्तन को वशिवास प्रस्तावों और धन वधियकों तक सीमति रखना तथा वधियकों को **अयोग्य ठहराए जाने के भय** के बनिा नीतगित मुद्दों पर वविक-आधारति मतदान करने की अनुमति देना।
- **राजनीतिक नैतिकता को प्रोत्साहति करना:** परामर्शात्मक नरिणय लेने को प्रोत्साहति करना और राजनीतिक दलों के भीतर असहमति की अनुमति देना, ताकि वधियकों को वैचारिक या नीतगित मतभेदों के कारण दल बदलने की आवश्यकता कम हो सके।

प्रश्न: दलबदल वरिेधी मामलों में वलिंब से शासन और चुनावी जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ता है? समयबद्ध नरिणय सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाइए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: भारत के संविधान की नमिनलखिति अनुसूचयिों में से कसिमें दल-बदल वरिेधी प्रावधान हैं? (2014)

- (a) दूसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) आठवी अनुसूची
- (d) दसवी अनुसूची

उत्तर: (d)

?????:

प्रश्न. कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भविष्य उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013)

प्रश्न. 'एकदा स्पीकर, सर्वदा स्पीकर'! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिये इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिये? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिये इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/delay-in-decisions-of-anti-defection-cases>

